92

R 2108 - III/17

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला

रीवा म0प्र0

Rs. 30/-

जीवन लाल लोधी तनय बल्देव लोधी उम्र साल निवासी कहा तहसील

नागौद जिला सतना म0प्र0 .... आपत्ति कर्ता / निगरानीकार

बनाम

श्री मती बीरा बाई पत्नी रामाराम लोधी साकिन इटौरा कला तहसील

नागौद जिला सतना म0प्र0 ... आवेदिका / निगरानीकार

बनाम

मु0 मुगिया उर्फ इतिया पत्नी रामेश्वर लोधी [मृतक]

निवासी इटौरा कला तहसील नागौद जिला सतना ... अना0 / गैर निगरानीकार

निगरानी विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्रमांक 45/316/15-16 आदेश दि0 13.6.17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू. रा. सं.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है

1- यह कि प्रार्थी / निगरानीकार द्वारा तहसीलदार महोदय के प्रकरण क्रमांक 45/316/15-16 श्री मती बीराबाई बनाम मु0 मुगिया उर्फ इतिया सभी निवासी इटौरा कला तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0 मे आपत्ति कर्ता / निगरानीकार द्वारा आदेश 1 नियम 10 का आवेदन प्रस्तुत किया था कि आपत्ति कर्ता जीवनलाल लोधी तनय बल्देव लोधी निवासी कहा के द्वारा मौजा सेमरवारा की आराजी क्रमांक 652, 1554, 155 के सम्बन्ध मे वसीयत

2..

जीवन लाल

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–तीन/निग./17/2108 जिला–सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.05.18	आवेदक अधिवक्ता श्री जसराम विश्वकर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील नागौद जिला सतना के राजस्व प्रकरण कमांक 45/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 13.06.17 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में सलंग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय में आपत्ति करते हुए आवेदक जीवनलाल लोधी द्वारा प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 जा. दी. का आवेदन प्रस्तुत किया था इस पर अनावेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए मौजा सेमरवारा की आराजी क0 662, 1554, 155 के संबंध में बसीयत के आधार पर नामांतरण पर आपत्तिकर्ता को पक्षकार के रूप में जोडे जाने पर आपत्ति प्रस्तुत की तथा अवगत कराया कि आवेदक आपत्तिकर्ता सहखातेदार नहीं हैं इसलिए उसे पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। 3– प्रकरण के अवलेकन से यह भी प्रतीत हुआ है कि	

तहसीलदार द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 जा. दी. का आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है उनके द्वारा प्रकरण साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण हेतु नियत की गया है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी तहसीलदार तहसील नागौद जिला सतना के राजस्व प्रकरण कमांक 45/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 13.06.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य